"प्रारूप नोटिस

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

टावर नं0–01, तृतीय तल, के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रॉकः स्वा0वि0 / 2018 / दिनॉक / /2018

सेवा में,

.....
.....
.....

ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की Solid Waste Management के संबंध में अधिसूचना, दिनांक 08, अप्रैल 2016 के अनुपालन में प्राधिकरण परिक्षेत्र से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) हेतु दि0 10.03.2018 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स में निम्नानुसार सूचना विज्ञापित करायी गयी थी।

"समस्त ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण परिक्षेत्र में भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत औसतन 100 कि0ग्रा0 प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादन करने वाले सरकारी विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियम और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन भी हैं को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के 03 (तीन) माह के भीतर अपने–अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2016 **के उपनियम 3 (8), (44), 4(1–a), (6), (7) & (8) के अनुपालन के तहत अपने जनित अपशिष्ट को पृथक–पृथक करके जैविक अपशिष्ट / ठोस अपशिष्ट को अपने स्तर पर ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रबन्धन एवं हस्तन / निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।**

उपरोक्त नियम का उल्लंघन पाये जाने पर Bulk Waste Generators **के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–15 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त** Bulk Waste Generators **की स्वयं की होगी। इस सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग, तृतीय तल, टावर नं0–01, सैक्टर के0पी0–01, ग्रेटर नौएडा के कार्यालय से सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।"**

उक्त नोटिस के सार्वजनिक प्रकाशन के उपरान्त भी आपके स्तर से प्रभावी कार्यवाही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हस्तन / निष्पादन / निस्तारण हेतु नहीं की गयी है। इस कारण विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार व "भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, दि0 08 अप्रैल, 2016" के प्राविधानों के अनुसार आपको यह नोटिस प्रेषित किया जा रहा है।

आप इस नोटिस की प्राप्ति के तुरन्त उपरान्त ठोस व जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रबन्धन एवं हस्तन/निष्पादन/निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि 30 दिन के अन्दर आपके संस्थान ..... से जनित अपशिष्ट कचरे को **ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम–2016** के अन्तर्गत पृथक करके वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हस्तन/निष्पादन/निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण के नियमों के अनुसार आप पर उचित कार्यवाही/अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
(हस्ताक्षर)''
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण